न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—17/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 01.02.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/35

वादीगण :—

1. दलपतराज पुत्र सोहनलालजी, उम्र— 36 साल
2. श्रवणकुमार पुत्र सोहनलालजी, उम्र— 30 साल
   जातियान— जाट, निवासीगण— झूठा, तहसील— रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. भवानीसिंह पुत्र लादुदान, उम्र— व्यस्क
2. सुखदेवसिंह पुत्र लादुदान, उम्र— व्यस्क
3. लादुदान पुत्र चण्डीदान, उम्र— व्यस्क
4. पुष्पाकंवर पुत्री लादुदान, उम्र— व्यस्क
5. हरूकंवर पत्नी चण्डीदान, उम्र— व्यस्क
6. प्रकाशकंवर पुत्री चण्डीदान, उम्र— व्यस्क
   जातियान— चारण, निवासीगण— झूठा, तहसील— रायपुर
   जिला— पाली (राजस्थान)
7. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला— पाली

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली एवं श्री मनीष साहू अधिवक्ता वादीगण
2 श्री जसवंत सिंह सांखला एवं श्री भूपैन्द्र सैन प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 29.01.2024

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली एवं श्री मनीष साहू द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की खरीद सुदा, कब्जा सुदा एवं मालिकाना हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम झूठा, पटवार हल्का झूठा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पिपलियाकलॉ, तहसील— रायपुर के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 763 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। उक्त भूमि के खसरा नम्बर 763 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा में से 18 बिस्वा भूमि दिनांक 15 अप्रेल 2015 को प्रतिवादी संख्या 3 लादुदान से वादीगण ने खरीद की थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 एक ने बतौर साक्ष्य हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये, जिसका बन्टवाडा करवाया जाकर खसरा नम्बर 763/2 राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया। एवं मौके पर तरमीन अलग की गयी। एवं खसरा नम्बर 763 रकबा 0.8094 हैक्टेयर अर्थात 05 बीघा कृषि भूमि दिनांक 17.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 तीन से खरीद की, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 दो ने बतौर साक्ष्य अपने हस्ताक्षर किये, जिसका नामान्तकरण वादीगण के नाम भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, उक्त बैचान पंजीयन दस्तावेज की खरीद की दिनांक से वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण की खरीद सुदा कृषि भूमि में 05 अक्टूम्बर 2021 को आकर जबरन खेत से पेड की डंटला काटने लगे, जिसकी जानकारी वादीगण को हुई, तो वादीगण ने जाकर प्रतिवादीगण को रोका, तो प्रतिवादीगण ने धमकिया दी कि तुम्हारे सभी खरीद सुदा खेत हम हडप करके रहेगे, तुम्हारे विरूद्ध झूठे झूठे दावे करके तुम्हें तंग व परेशान कर देगे, दिनांक 25.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 एक वादीगण की खरीद सुदा भूमि पर आया, तथा खेत में खडी नीम की दो डालिया काट दी, तथा ले जाने लगा, तब वादीगण ने उसे रोका, तो उसने कहॉ कि यह जमीन मेरी व मेरे बाप की है, तुम्हे यहॉ काश्त नही करने दूंगा, यदि तुम लोग बीच में आये, तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 दिनांक 20.12.2021 को दिन में करीब 3.00 बजे के आस पास मौके पर आये तथा वादीगण की खरीद सुदा जमीन की तारबन्दी से छेडछाड करने लगे, जिस पर वादीगण ने मना किया, तो सभी प्रतिवादीगण ने वादीगण को उनकी खरीद सुदा जमीन से बेदखल कर अवैध रूप से कब्जा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

करने की धमकिया दी। यदि प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलनदांजी करने से नही रोका जाता है, एवं उन्हें अतिक्रमण करने से नही रोका जाता है, तो वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत मे सम्भव नही होगी। वादीगण अपने मूलभूल अधिकारो से वंचित हो जायेगा। लिहाजा वादीगण के पास माननीय न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से वादीगण अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व जमीन के लैनहोल्डर है, जो वाद में आवश्यक पक्षकार है, इसलिये उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया है, जो राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण अपने मकसद मे कामयाब हो जायेगे, वह वादीगण की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगे, जिससे वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी। इसलिये वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। बिनायदावा दिनांक– 05 अक्टूम्बर 2021 एवं 25 नवम्बर 2021 एवं दिनांक 20.12.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खरीद सुदा कब्जे काश्त की भूमि में आकर दखलनदांजी करने एवं वादीगण को बेदखल कर अवैध रूप से कब्जा करने की धमकिया देने से दिन प्रतिदिन बमुकाम झूठा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। पक्षकारान के निवास स्थान, वाद की प्रकृति, वाद की मालियत इत्यादि के आधार पर उक्त वाद का क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार श्रीमान के न्यायालय को होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक में वर्णित वादीगण की खरीद सुदा, कब्जा काश्त व मालिकाना हक अधिकार की सरहद मौजा– झूठा के खसरा नम्बरन 763 व 763/2 की जमीन में वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न करे, ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल करे, और ना ही प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर, हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे। दौराने वाद अगर प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है, तो जरिये आदेश पूनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 06 की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला ने वकालतनामा मय राजीनामा पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया जाकर बाद तस्दीक किया गया हैं। जिसमें वादीगण के समर्थन में चाही गई इस्तेदुआ स्वीकार करने में अपनी सहमति दी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा मय जबावदामा श्री भूपैन्द्र सैन ने पेश किया हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया हैं। प्रतिवादीगण ने धारा 10 का प्रार्थना पत्र पेश किया हे। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्तान ने प्रार्थना पत्र धारा 10 पर बहस हेतु निवेदन किया हैं इसीलिए प्रार्थना पत्र धारा 10 पर बहस सुनी गई हैं। बहस एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन के पश्चात् धारा 10 का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

प्रतिवादी अधिवक्ता एवं वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति से उक्त वादपत्र पर बहस करना चाहते हैं। बहस उभयपक्ष समायत की गई। बहस में वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री करवाने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद ग्राम झूठा, पटवार हल्का झूठा के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 763 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम झूठा, पटवार हल्का झूठा के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किरम बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 763 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किरम बारानी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न करे, ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल करे, और ना ही प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा करे। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. दलपतराज पुत्र सोहनलालजी, उम्र– 36 साल
2. श्रवणकुमार पुत्र सोहनलालजी, उम्र– 30 साल
जातियान– जाट, निवासीगण– झूठा, तहसील– रायपुर
जिला– पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भवानीसिंह पुत्र लादुदान, उम्र– व्ययस्क
2. सुखदेवसिंह पुत्र लादुदान, उम्र– व्ययस्क
3. लादुदान पुत्र चण्डीदान, उम्र– व्ययस्क
4. पुष्पाकंवर पुत्री लादुदान, उम्र– व्ययस्क
5. हरूकंवर पत्नी चण्डीदान, उम्र– व्ययस्क
6. प्रकाशकंवर पुत्री चण्डीदान, उम्र– व्ययस्क
जातियान– चारण, निवासीगण– झूठा, तहसील– रायपुर
जिला– पाली (राजस्थान)
7. तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला– पाली

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 17/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री मिनजानिब प्रतिवादीगण श्री जसवंत सिंह सांखला एवं श्री भूपैन्द्र सैन मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम झूठा, पटवार हल्का झूठा के खसरा नम्बर 763/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 763 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न करे, ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल करे, और ना ही प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा करे।

नीज......................×.................मुवलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×................... ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			04	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।